[1]प्ररूप सं. 10 गगच

[नियम 19कङ देखिए]

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80ठक(3) के अधीन रिपोर्ट

1. (जो लागू हों उस पर सही का निशान लगाए)

   (क) अपतट बैंककारी इकाई (इकाईयां)/जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम) मे अवस्थित है/हैं, या

   (ख) निर्धारिती के स्वामित्व वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई जो 31 मार्च .... को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा की जाती है/हैं :

   के कारबार के संबंध में, मैं/हम (स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक के साथ निर्धारिती का नाम और पता) के लेखे और अभिलेख परीक्षण कर चुके हैं।

2. मैं/हम प्रमाणित करते है कि निर्धारण वर्ष के संबंध में आय कर नियम, 1961 की धारा 80ठक की उपधारा (1)/उपधारा (1क) के अधीन निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती ...... रुपए, जो निर्धारिती द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त आय के आधार पर अवधारित की गई है। उकत रकम इस प्ररूप के उपाबंध (क) में ब्यौरों के आधार पर तय की गई है।

तारीख: हस्ताक्षर

स्थान: लेखाकार

उपाबंध क	
1. निर्धारिती का नाम	
2. निर्धारण वर्ष	
3. स्थायी लेखा संख्यांक और आधार संख्यांक (यदि लागू हों)	
4. निर्धारिती के स्वामित्व वाली - (*क*) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतट बैंककारी इकाई (इकाईयां), या (*ख*) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई, का नाम और पता (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं) (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन प्राप्त अनुज्ञा (अनुज्ञाओं) की एक प्रति कृपया संलग्न करें)	
5. निर्धारिती द्वारा धारा 80ठक की उपधारा (1) या उपधारा (1) के अधीन कटौती के दावे का पहला निर्धारण वर्ष	
6. धारा 80ठक की उपधारा (2) (रुपए में) [2][*यदि इकाई आईएफएससी बीमा कार्यालय है और बीमा कारोबार करती है, तो "सकल आय" का अर्थ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 और प्रथम अनुसूची के उपबंधों के अनुसार गणना किए गए लाभ और अभिलाभ होंगे*] में निर्दिष्ट इकाईयों की कुल आय	
घटाएं :	
7. ऊपर 6 मे से, कुल आय, जो संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा मे प्राप्त नहीं होती है (रुपए में)	
8. कुल पात्र आय (रुपए में)	
घटाएं :	
9. कुल पात्र आय के फलस्वरूप व्यय (मद 8) (रुपए में) [2][*यदि इकाई आईएफएससी बीमा कार्यालय है और बीमा कारोबार करती है, जहां लाभ और अभिलाभ की गणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 और प्रथम अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, तो इस क्षेत्र को शून्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है*]	
10. धारा 80ठक के अ/ाीन कटौती के लिए पात्र आय (8-9) (रुपए में)	

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा 17.7.2023 से प्रतिस्थापित।
2. आय-कर (तेइसवां संशोधन) नियम, 2025 द्वारा **20.8.2025** से प्रतिस्थापित।